भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2724

22 दिसंबर, 2021 को उत्तरार्थ

विषयः सहकारी क्षेत्र के संस्थानों में विसंगतियां

2724. श्री रेवती रमन सिंह:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सहकारी क्षेत्र की संस्थाओं में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को सहकारी क्षेत्र की संस्थाओं के साथ हो रहे भेदभावपूर्ण व्यवहार की जानकारी है;

(ग) इसे रोकने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठाने का विचार रखती है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (घ): देश में एक समृद्ध सहकारी विरासत और एक मजबूत सहकारी क्षेत्र है। देश में दो प्रकार की सहकारी संरचनाएँ अर्थात राज्य सहकारी समितियाँ और बहु-राज्य सहकारी समितियाँ हैं। केवल एक राज्य में कार्यरत सहकारी समितियां संबंधित राज्य सरकार के कानूनों द्वारा शासित होती हैं और एक से अधिक राज्यों में कार्यरत सहकारी समितियां केंद्रीय कानून, अर्थात् 'बहुराज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 (2002 का 39) द्वारा शासित होती हैं। उनके प्रशासन से संबंधित किसी भी मुद्दे को संबंधित स्तरों पर निपटाया जाता है। हालाँकि, देश में विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी आंदोलन को नए आयाम देने तथा इसे और सुदृढ़ करने के लिए, नीति और अन्य कार्यकलापों के माध्यम से, सरकार ने एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करने हेतु नया सहकारिता मंत्रालय बनाया है। इसका उद्देश्य सहकारी समितियों को वास्तविक जन-आधारित जमीनी स्तरीय आंदोलन के रूप में तैयार करना और सहकारिता आधारित ऐसा अर्थव्यवस्था मॉडल विकसित करना है, जहां प्रत्येक सदस्य उत्तरदायित्व की भावना के साथ काम करे। मंत्रालय को भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1961 के तहत राजपत्र अधिसूचना दिनांक 06.07.2021 में प्रकाशित निम्नलिखित अधिदेश दिया गया है:-

1. सहकारिता के क्षेत्र में सामान्य नीति और सभी क्षेत्रों में सहकारी गतिविधियों का समन्वय,
2. "सहकारिता से समृद्धि की ओर" के विजन को साकार करना,
3. देश में सहकारिता आंदोलन को सुदृढ़ करना और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच बढ़ाना,
4. देश के विकास के लिए, अपने सदस्यों के बीच जिम्मेदारी की भावना सहित सहकारी आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देना,
5. सहकारी समितियों को उनकी क्षमता का पहचान कराने में मदद करने के लिए उपयुक्त नीति, कानूनी और संस्थागत ढांचे का निर्माण,
6. राष्ट्रीय सहकारी संगठन से संबंधित मामले,
7. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम,
8. 'बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 39)' का कार्यान्वकयन सहित एक राज्य तक सीमित न रखने के लक्ष्यों के साथ सहकारी समितियों का निगमन, विनियमन और समापन,
9. सहकारिता विभागों और सहकारिता संस्थानों के कर्मियों का प्रशिक्षण (सदस्यों, पदाधिकारियों और गैर-अधिकारियों की शिक्षा सहित)।

*****